



न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन)
COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department
बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-स0स0-06/सा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018

1274/आ-नि81

दिनांक 22 नवम्बर 19

प्रेषक,

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

विषय :-

दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक तथा दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन (मार्गदर्शिका सहित) के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उक्त विषय के सम्बन्ध में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, समाहरणालय, समस्तीपुर का पत्रांक-522/सा0सु0को0 दि0-27.09.2019 तथा पत्रांक-589/दिव्या0सु0को0 दि0-20.11.2019 का संदर्भ देते हुए कहना है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना की कार्यक्रम विवरणी निम्नांकित है :-

राज्य आयुक्त निःशक्तता के कार्यक्रम की संक्षिप्त विवरणी

क्र0 सं0	तिथि	समय	कार्यक्रम	स्थान	नोडल पदाधिकारी
1.	09/12/2019 (सोमवार)	07:00 AM से 03:00 PM	जिला में विभिन्न प्रखण्डों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक	प्रखण्ड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		04:00 PM से	इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ सम्वाददाता सम्मेलन/प्रेस वार्ता	जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क का सभाकक्ष	जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी
2.	10/12/2019 (मंगलवार)	07:00 AM से 10:00 AM	जिला में विभिन्न प्रखण्डों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक	प्रखण्ड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		10:00 AM बजे से 12:00 PM बजे तक	विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा) उपस्थिति :- (1) उप विकास आयुक्त (2) जिला विधिक सेवा प्राधिकार (3) उप समाहर्ता, प्रभारी बैंकिंग (4) उप पुलिस अधीक्षक (5) अपर समाहर्ता (6) अनुमण्डल पदाधिकारी (7) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (8) असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (9) श्रम अधीक्षक (10) उप समाहर्ता, जिला आपदा, प्रबंधन/प्राधिकारण (11) जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी (12) जिला पशुपालन पदाधिकारी (13) डी0आर0डी0ए0 (14) जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (15) जिला नियोजन पदाधिकारी (16) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पथ प्रमण्डल (17) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) (18) जिला कल्याण पदाधिकारी (19) जिला शिक्षा पदाधिकारी (20) सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग (21) जिला आपत्ति पदाधिकारी (22) जिला परिवहन पदाधिकारी (23) जिला अभियंता, जिला परिषद (24) जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी (25) जिला कृषि पदाधिकारी (26) जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी (27) जिला खेल-कूद पदाधिकारी (28) जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/अनु0लो0शे0 निवा0 पदा0 (29) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद (30) जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण (31) निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (32) कारा अधीक्षक (33) जिला उप निवेशन पदाधिकारी (34) भूमि सुधार उप समाहर्ता (35) जिला पैदायती राज पदाधिकारी (36) सहायक निदेशक, जिला बाल सुरक्षण इकाई (37) प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक (38) जिला प्रबंधक, "जीविका" (39) जिला प्रबंधक "बनियान केन्द्र" (40) जिला हेड, ग्राहक सेवा केन्द्र (CSC)	जिला सभागार	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग

3.	10/12/2019 (मंगलवार)	12:00 PM बजे से 01:00 PM बजे तक	अपर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक एवं जिले के प्रमुख थाना प्रभारी विभिन्न पदाधिकारी के साथ बैठक	अधीक्षक एवं एस0एच0ओ0/	पुलिस सभागार	इस बैठक के आयोजन पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ ही सभी सम्बन्धित को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करेंगे।
		01:00 PM बजे से 02:00 PM बजे तक	विभिन्न कॉलेज/कौचिंग संस्थान एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक। उपस्थिति :- (1) जिला शिक्षा पदाधिकारी (2) प्रधानाचार्य, सम्बन्धित जिला स्थिति सभी महाविद्यालय (3) सभी आई0टी0आई0 के प्राचार्य (4) प्रधानाचार्य, पोलेटेकनिक कॉलेज (5) डी0आर0सी0सी0 (जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र)		शिक्षा विभाग सभाकक्ष	विकास आयुक्त
		02:00 PM बजे से 03:00 PM बजे तक	लॉड बैंक के साथ स्थित सभी बैंकों के प्रांतोनिधि के साथ बैठक। उपस्थिति :- (1) जिला बैंकिंग उप समाहर्ता (एल0डी0एम0 बैंकिंग) (2) जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक (3) जिला अन्तर्गत सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक		समाहरणालय सभागार	उप समाहर्ता, प्रभारी (एल0डी0एम0 बैंकिंग)
		03:00 PM बजे से 04:00 PM बजे तक	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा-13(2) के तहत ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पॉल्सी एवं बहुदिव्यांग के पुनर्वास की व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय लोकल लेबल कमिटी की बैठक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-72 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक		जिला पदाधिकारी कक्ष	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		04:00 PM बजे से 05:00 PM बजे तक	रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मॉल का निरीक्षण उपस्थिति :- (1) स्टेशन अधीक्षक/उपाधीक्षक (2) जिला उद्योग पदाधिकारी (3) नगर आयुक्त/नगर परिषद एवं सदर अनुमण्डलीय पदाधिकारी		रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मॉल इत्यादि जगहों पर	नगर आयुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी (E.O.)/जिला परिषद
4.	11/12/2019 (बुधवार)	07:00 AM से 09:00 AM	जिला में विभिन्न प्रखण्डों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखण्ड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक		प्रखण्ड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग
		09:00 AM बजे से 11:00 AM बजे तक	सदर अस्पताल का निरीक्षण		सदर अस्पताल	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
		11:00 AM बजे से 01:00 PM बजे तक	जनप्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधि/बोर्ड प्रतिनिधि/सिविल सोसाईटी/समाजसेवी के साथ बैठक। (1) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर निगम (2) नगर परिषद जिला अन्तर्गत सभी पार्षद। (3) प्रखण्डों के प्रमुख के साथ। (4) प्रमुख पंचायत प्रतिनिधियों के साथ। (5) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी NGOs के प्रतिनिधि।		जिला परिषद भवन/नगर परिषद सभाकक्ष	उप विकास आयुक्त/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी/नगर परिषद संयुक्त रूप से।
		02:00 PM बजे से 03:00 PM बजे तक	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला तथा प्रखण्ड स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक (एडभोकेसी बैठक) (1) जिला शिक्षा पदाधिकारी। (2) कार्यक्रम पदाधिकारियों (शिक्षा)। (3) प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों। (4) प्राइवेट विद्यालयों के निदेशक/प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य		डी0आर0सी0 सी0	जिला शिक्षा पदाधिकारी
		03:00 PM बजे से 04:00 PM बजे तक	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्डों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों/जिला में दिव्यांगता प्रमाणीकरण के सदस्य (बोर्ड मेम्बर) तथा प्रपत्रों एवं रजिस्टर मेन्टन हेतु पी0एच0सी0 स्तर के क्लर्क/सहायक के साथ बैठक।		सदर अस्पताल	एस0डी0सी0 (स्वास्थ्य सेवा)/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
5.	12/12/2019 (गुरुवार)	04:00 PM बजे से 05:00 PM बजे तक	जिला आई0सी0डी0एस0 के प्रोग्राम पदाधिकारी, सी0डी0पी0ओ0 एवं महिला सुपरवाइजर्स के साथ बैठक एवं स्थानीय सेविका। विकास मित्र, न्याय मित्र, समावेशी शिक्षकों एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0एल0भी के भोलेंटीयर्स के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक।		चलन्त न्यायालय का आयोजन स्थल पर	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0) जिला शिक्षा पदा0/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार/जिला पंचायती राज पदाधिकारी
		10:00 AM बजे से 07:00 PM बजे तक (अंतिम निष्पादन तक)	दिव्यांगजनों के परिवारों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)			जिला पदाधिकारी/ उप विकास आयुक्त/ सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग

राज्य आयुक्त निःशक्तता के कार्यक्रम की विस्तृत विवरणी

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सरक्षापायों की जांच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ निहित होती हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 अधिसूचित किया जा चुका है। उक्त अधिनियम/नियमावली में निहित शर्तों के अधीन नवनियुक्त राज्य आयुक्त निःशक्तता, डॉ० शिवाजी कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उल्लेखनीय है कि बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम-28(1) के अनुसार राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं।

वित्त वर्ष-2018-19 में मधुबनी, बेतिया (पश्चिम चम्पारण), भागलपुर, गया, रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा), पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर, मगेर, वैशाली (हाजीपुर), जहानाबाद, सहरसा, भोजपुर (आरा), दरभंगा, सुपौल, जमुई, पटना, औरंगाबाद, सीतामढ़ी एवं सिवान में चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) एवं समीक्षात्मक बैठक का उद्देश्यपूर्ण एवं सफल आयोजन किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष-2019-20 में राज्य आयुक्त निःशक्तता ने पुनः बिहार के सभी जिलों में जिला स्तर पर एक-एक चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) एवं समीक्षात्मक बैठक करने का निर्णय लिया है, जिसके आलोक में नवादा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, बक्सर, कैमूर (भभुआ), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी, गोपालगंज, मधुपरा, मधुबनी एवं अरवल में चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) एवं समीक्षात्मक बैठक का उद्देश्यपूर्ण एवं सफल आयोजन किया जा चुका है।

राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना द्वारा उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार दि०-10.12.2019 से 12.12.2019 तक समस्तीपुर जिला में दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई व निष्पादन हेतु समीक्षा बैठक एवं चलन्त न्यायालय का आयोजन किया जाना है।

- समस्तीपुर जिला में भी तीन दिवसीय आयोजन किया जाना है, जो इस प्रकार हैं :-
- दिनांक-09.12.2019 को 07:00 AM से 03:00 PM तक समस्तीपुर जिला में सभी प्रखण्डों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ बैठक एवं अपराह्न 4:00 बजे से इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ सम्वाददाता सम्मेलन/प्रेस वार्ता का आयोजन करने की व्यवस्था की जाए (समस्तीपुर डी०पी०आर०ओ०) को सहायता करने हेतु निदेशित किया जाय।

प्रथम दिन

प्रथम पाली - विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक

10/12/2019 (मंगलवार)	07:00 AM बजे से 10:00 AM बजे तक	समस्तीपुर	बचे हुए प्रखण्डों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ बैठक
	10:00 AM बजे से 01:00 PM बजे तक		विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा)
	01:00 AM बजे से 02:00 PM बजे तक		अपर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक एवं जिले के प्रमुख थाना प्रभारी (SHO)

समीक्षात्मक बैठक में निम्न विभागों/कार्यालयों/निदेशालयों के पदाधिकारीगण को उपस्थित रहने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय तथा चलन्त न्यायालय में भी उपस्थित रहने का निदेश दिया जाए।

- उप विकास आयुक्त:-** इन्दिरा आवास एवं अन्य विकास योजनाओं में निःशक्तजनों की सहभागिता, लाभान्वितों की तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-37 की कंडिका-(क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में जैसे कृषि, भूमि और आवासन के आवंटन, सभी निर्धनता उपशमन, विभिन्न विकासशील स्कीमों, रियायती दर पर भूमि का आवंटन उपजीविका के गठन, कारखाना, उद्यम, आमोद-प्रमोद केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों के संवर्धन के प्रयोजन में पाँच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने से सम्बन्धित पिछले तीन वर्षों की सूची उपलब्ध कराएँ।
- अपर समाहर्ता:-** निःशक्तजनों को की गई भूमि बन्दोवस्ती/वितरण लाभान्वितों की तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
- सभी "अनुमण्डल पदाधिकारी" अपने अनुमण्डल के लिए दिव्यांगजनों के मामलों में नोडल पदाधिकारी किये गये हैं एवं आयोजित चलन्त न्यायालय में समीक्षा बैठक एवं दिव्यांगजनों से सम्बन्धित कृत कार्रवाई के अभिलेख के साथ (तीन वर्षों) निश्चित रूप से उक्त न्यायालय में उपस्थित हो तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।**
- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी:-** अपने साथ डी०पी०एम० (राज्य स्वास्थ्य समिति), जिला अस्पताल पब्लिक एवं दिव्यांगता प्रमाणीकरण इंचार्ज को भी उपस्थिति रहने हेतु निदेशित किया जाय।

- विकलांगता प्रमाण-पत्र (21 प्रकार की दिव्यांगता) प्रगति लाभान्वितों की तीन वर्षों की सूची उपलब्ध कराये।
- समीक्षा बैठक के अवसर पर प्रखण्ड कार्यालय में निःशक्तजनों को आवश्यकतानुसार निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रदत्त करने के लिए प्रखण्ड कार्यालय में चलन्त मेडिकल बोर्ड का आयोजन सुनिश्चित कराएँगे।
- सदर अस्पताल का निरीक्षण - निःशक्तजनों के लिए प्रदत्त सुविधाओं का सदर अस्पताल में आयुक्त महोदय का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
- UDID Cards की स्थिति पर समीक्षा।
- सदर अस्पताल एवं जिला अस्पताल का निरीक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित कराएँगे।

5. **उप पुलिस अधीक्षक:-**विगत तीन वर्षों तक का दिव्यांगजन को आपके विभाग द्वारा दी जाने वाली विशेष सुविधा से सम्बन्धित सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
6. **श्रम अधीक्षक:-**जिले में अवस्थित कुशल एवं अकुशल श्रमिकों में कितने प्रतिशत दिव्यांगजन हैं। एतद् संबंधी तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
7. **उप समाहर्ता, जिला आपदा प्रबंधन/प्राधिकरण:-**जिले में आपदा के समय दिव्यांगजनों को क्या-क्या सहायता प्रदान की जाती है तथा कितने दिव्यांगजनों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत प्रदान की गई है, से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
8. **जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी:-** विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रदत्त लाभों से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
9. **जिला पशुपालन पदाधिकारी:-**विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रदत्त लाभों से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
10. **डी०आर०डी०ए०:-**विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रदत्त लाभों से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
11. **जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी :-** जिले में जो सहयोग समितियाँ कार्यरत हैं, उनमें दिव्यांगों का कितना प्रतिशत भागीदारी है। एतद् संबंधी तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
12. **जिला नियोजन पदाधिकारी :-** जिले में बेरोजगारों द्वारा जो इनराल्मेन्ट किया गया है, उनमें कितने प्रतिशत दिव्यांग का इनराल्मेन्ट किया गया है तथा कितने को रोजगार मुहैया कराया गया है। एतद् संबंधी तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
13. **कार्यपालक अभियंता, भवन विभाग/पथ निर्माण :-**
 - (क) रैम्प निर्माण, लिफ्ट, टॉयलेट एवं आवश्यक प्रावधान आदि।
 - (ख) बाधामुक्त वातावरण (Barrier free environment) आदि। सभी सरकारी भवनों/कार्यालयों एवं आवासों में दिव्यांगजनों हेतु रैम्प, लिफ्ट, टॉयलेट एवं आवश्यक प्रावधान से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
 - (ग) सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग चिह्नित करना एवं दिव्यांगों हेतु अन्य यातायात चिन्हों को अंकित करना आदि।
14. **जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्वशिक्षा अभियान):-**विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची प्रखण्डवार एवं सभी कार्यरत संसाधन शिक्षकों का लिस्ट एवं स्कूलवार दिव्यांगजनों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ। साथ ही जिले के प्रत्येक प्रखण्ड में अनुमण्डल एवं जिला में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 06 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए मॉडल समावेशी शिक्षा की सूची, स्कूल का नाम, कार्यरत शिक्षक व विशेष शिक्षकों की सूची एवं आवश्यक उपलब्ध संसाधनों की सूची भी उपलब्ध कराये।
15. **जिला कल्याण पदाधिकारी:-**प्रखण्डवार विकलांग छात्रवृत्ति से संबंधित लाभान्वितों की तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
16. **जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक :-**
 - (क) शिक्षक नियुक्ति में निःशक्त अभ्यर्थियों की प्रखण्डवार रिक्ति एवं नियुक्ति; स्कूल भवनों में रैम्प, छात्रवृत्ति, नामांकन संबंधी तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
 - (ख) शिक्षा विभाग का यह भी दायित्व है कि विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए समेकित शिक्षा/ विशेष विद्यालयों की स्थापना/व्यवसायिक प्रशिक्षण/अनौपचारिक शिक्षा/निःशुल्क उपस्कर शिक्षा सामग्री शिक्षण सामग्री विकास हेतु डिजायन का अनुसंधान/विशेष शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना/निःशक्त छात्रों के लिए शिक्षा योजना तैयार करना/छात्रों को परिवहन की सुविधा/छात्रों के अभिभावकों को वित्तीय सहायता/वृत्तिका युक्त प्रशिक्षण/नेत्रहीन छात्रों के लिए परीक्षा पद्धति में संशोधन/सभी शिक्षण संस्थाएँ नेत्रहीन छात्रों या कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए लेखकों की व्यवस्था करेगी। इससे संबंधित भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
 - (ग) प्राथमिक उच्च एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्ति हेतु सम्बन्धित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नामांकित दिव्यांग छात्रों की सूची।
 - (घ) निजी व सरकार द्वारा वित्तपोषित विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक सुनिश्चित कराएँ।
17. **सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग/दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय :-**
 - (क) मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना/निःशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इन्दिरा गाँधी मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना, स्वचालित वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना, अनियोजन भत्ता एवं अनुकम्पा पर नियुक्ति संबंधित मामलों में निःशक्तजनों की स्थिति, UDID Card से लाभान्वित निःशक्तजनों की सूची, प्रगति प्रतिवेदन एवं एतद् संबंधी तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ। जिला मुख्यालय स्थित विशेष विद्यालय, बालगृहों/आवास गृहों का निरीक्षण करने की व्यवस्था की जाए।

18. **जिला आपूर्ति पदाधिकारी :-**

- (क) कुल स्वीकृत एवं कार्यरत जनवितरण विक्रेताओं की संख्या में निःशक्तजनों की स्थिति की तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
 (ख) जनवितरण प्रणाली द्वारा प्रखण्डवार लाभान्वित निःशक्तजनों की संख्या।

19. **जिला परिवहन पदाधिकारी:-**परिवहन के मामले में निःशक्तजनों के लिए क्या-क्या सुविधाएँ दी गई है एवं भविष्य में क्या योजनाएँ है तथा दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाईसेन्स निर्गत किये जाने का विवरण तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष की भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ। (एम0भी0आई0 को भी मीटिंग में साथ लायें)20. **जिला अभियंता, जिला परिषद:-**आपके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में निःशक्तजनों की सहभागिता एवं लाभान्वितों की तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ एवं जिले में दिव्यांगजन के लिए सड़क, शौचालय एवं भवनों का सुगम्य बनाना।21. **जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी:-**निःशक्तजनों के लिए जिला समाहरणालय में चलन्त न्यायालय का प्रचार-प्रसार अपने स्तर से करने की कृपा की जाय तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ। प्रखण्ड स्तर तक दिव्यांगजनों के लिए बिहार सरकार एवं भारत सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएँ।22. **जिला कृषि पदाधिकारी:-**जिले में खाद्य, विज आदि वितरण में दिव्यांगजनों के भागीदारी के सम्बन्ध में सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।23. **जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी :-** दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सहाय राशि की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।24. **जिला खेल-कूद पदाधिकारी:-**जिला में दिव्यांगों के खेल-कूद से सम्बन्धित आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दिव्यांगजनों की भागीदारी खेल प्रशिक्षण एवं मैदान की सुविधा से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।25. **जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी :-** पिछले दो वर्षों में दिव्यांगों से सम्बन्धित जितनी भी शिकायत का निवारण किया गया है, उसकी सूची उपलब्ध करायी जाए तथा चलन्त न्यायालय के दिन अपने कर्मियों के साथ दिव्यांगजनों की शिकायतों को रजिस्टर्ड करने की व्यवस्था की जाए तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।26. **नगर/परिषद कार्यालय:-**नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध है कि एक नोडल पदाधिकारी को नामित कर समीक्षात्मक बैठक एवं चलन्त न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया जाए एवं तीन वर्षों का प्रगति प्रतिवेदन तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ एवं जिले में दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराएँ।27. **जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण:-**पिछले तीन वर्षों में दिव्यांगों से सम्बन्धित मिलने वाले लाभ की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।28. **जिला ग्रामीण विकास :-** पिछले तीन वर्षों में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं योजनाओं में दिव्यांगों को मिलने वाले लाभ की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।29. **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस):-**पिछले तीन वर्षों में बाल विकास परियोजनाओं में दिव्यांगों से सम्बन्धित कार्यक्रम का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सी0डी0पी0ओ0) से अलग से बैठक सुनिश्चित कराएँ एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों में दिव्यांगजनों की स्थिति एवं प्रगति प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराएँ।30. **जिला विधिक सेवा प्रधिकार:-**आपसे अनुरोध है कि उक्त तीन दिनों का समीक्षात्मक बैठक एवं चलन्त न्यायालय के आयोजन में उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान करें एवं जिला में पैनल अधिवक्ता, लीगल पैरा भोलिन्टयर की सूची भी उपलब्ध कराई जाए तथा पिछले तीन वर्षों में दिव्यांगों के लिए दी गई विधिक सेवा का प्रतिवेदन दिया जाए।31. **कारा अधीक्षक:-**आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन कारा गृह में बन्द दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।32. **जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी:-**आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को प्रदान किये जाने वाले लाभ से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।33. **जिला भूमि सुधार उपसमाहर्ता पदाधिकारी:-**आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।34. **प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक :-** आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में बैंक खाता खोले जाने, रोजगार एवं अन्य कार्यों हेतु ऋण प्रदान किये जाने एवं अन्य प्रदत्त बैंकिंग सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।

35. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई:-आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांग बच्चों से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए। बाल गृह/आश्रय गृहों में रह रहे दिव्यांगजनों की सूची उपलब्ध कराएँ।
36. जिला पंचायती राज पदाधिकारी:-आपसे अनुरोध है कि उक्त समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों का) उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाए।
37. सभी "प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी" अपने प्रखण्ड के लिए दिव्यांगजनों के मामलों में नोडल पदाधिकारी आप नामित किये गये हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-37 की कंडिका-(क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों में जैसे कृषि, भूमि और आवासन के आवंटन, सभी निर्धनता उपशमन, विभिन्न विकासशील स्कीमों, रियायती दर पर भूमि का आवंटन उपजीविका के गठन, कारबार, उद्यम, आमोद-प्रमोद केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों के संवर्धन के प्रयोजन में पाँच प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रखण्ड स्तर पर दिये जाने से सम्बन्धित पिछले तीन वर्षों की सूची उपलब्ध कराएँ तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
38. जिला प्रबंधक "जीविका":- जिला में जीविका द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
39. जिला प्रबंधक "बुनियाद":- जिला में बुनियाद द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से सम्बन्धित तीन वर्षों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराएँ।
40. जिला हेड, ग्राहक सेवा केन्द्र:-आपके द्वारा जिले में अबतक कितने दिव्यांगता प्रमाणीकृत दिव्यांगजनों का डाटा UDID पोर्टल पर Online भरा गया है तथा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा UDID कार्ड हेतु Online आवेदन भरा गया है, से सम्बन्धित सूची उपलब्ध कराएँ।

प्रथम दिन

द्वितीय पाली -

10/12/2019 (मंगलवार)	01:00 PM बजे से 02:00 PM बजे तक	समस्तीपुर	(1) विभिन्न कॉलेज/कोचिंग संस्थान एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक
	02:00 PM बजे से 03:00 PM बजे तक		(2) लीड बैंक के साथ जिला में स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
	04:00 PM बजे से 05:00 PM बजे तक		(3) रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व मॉल का निरीक्षण

द्वितीय दिन

प्रथम पाली - सदर अस्पताल का निरीक्षण

11/12/2019 (बुधवार)	07:00 AM बजे से 09:00 AM बजे तक	समस्तीपुर	बचे हुए प्रखण्डों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ बैठक
	09:00 AM बजे से 11:00 AM बजे तक		अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों एवं सदर अस्पताल का निरीक्षण तथा पदाधिकारियों के साथ बैठक

द्वितीय पाली - जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक

11/12/2019 (बुधवार)	11:00 AM बजे से 01:00 PM बजे तक	समस्तीपुर	जनप्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधि/बाई प्रतिनिधि/सिविल सोसाइटी/समाजसेवी के साथ बैठक
------------------------	---------------------------------	-----------	--

कृपया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-52 (पूर्व अधिनियम के तहत) तथा अधिनियम की धारा-51 के तहत जनप्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी, संस्थाओं गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच संवाद किया जाना है। निम्नलिखित प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कराने की कृपा की जाए :-

- (1) नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद
- (2) जिला के सभी प्रखण्डों के प्रमुख
- (3) जिला के प्रमुख संस्थाएँ, समाजसेवी, प्रमुख डॉक्टर, राष्ट्रीय न्यास के अभिभावकगण
- (4) सभी सिविल सोसाइटी गैरसरकारी एवं सरकारी संगठन के अध्यक्ष या सदस्य
- (5) दिव्यांगजन का संगठन एवं विभिन्न दिव्यांगता से सम्बन्धित जिलों के प्रतिनिधि

तृतीय पाली - निम्न पदाधिकारियों/प्रधानाध्यापक/प्राचार्यों/सी0डी0पी0ओ0 एवं चिकित्सकों के साथ बैठक -

11/12/2019 (बुधवार)	02:00 PM बजे से 03:00 PM बजे तक	समस्तीपुर	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला एवं ब्लॉक स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्राचार्यों के साथ बैठक (एडभोकेसी बैठक)
	03:00 PM बजे से 04:00 PM बजे तक		असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्डों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों/जिला में दिव्यांगता प्रमाणीकरण के सदस्य (बोर्ड मेंबर) तथा प्रपत्रों एवं रजिस्टर में नटन हेतु पी0एच0सी0 स्तर के क्लर्क/सहायक के साथ बैठक।
11/12/2019 (बुधवार)	04:00 PM बजे से 05:00 PM बजे तक	चलन्त न्यायालय का आयोजन स्थल पर	जिला आई0सी0डी0एस0 के प्रोग्राम पदाधिकारी, सी0डी0पी0ओ0 एवं महिला सुपरवाइजरों (LS) के साथ बैठक (एडभोकेसी बैठक)
			विकास मित्र, न्याय मित्र, समावेशी शिक्षकों (समग्र शिक्षा) एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों के साथ बैठक (जहाँ चलन्त न्यायालय लगाया जाना है)/ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के PLV (न्यायमित्र) के Volunteers के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक

तृतीय दिन**दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई व निष्पादन हेतु समीक्षा बैठक एवं चलन्त न्यायालय**

12/12/2019 (गुरुवार)	08:00 AM बजे से 07:00 PM बजे तक (अंतिम निष्पादन तक)	समस्तीपुर	दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)
-------------------------	---	-----------	---

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है। अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं का चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के दौरान ही निष्पादन किया जाएगा एवं आवश्यक आदेश पारित किए जाएंगे। चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) हेतु सरकारी बाधामुक्त स्थल (यथा आवश्यकता रैम्प इत्यादि युक्त) ऑडिटोरियम, स्कूल कॉलेज, सामुदायिक भवन के निर्धारण के साथ जिला प्रशासन द्वारा निम्न व्यवस्थाएँ की जानी हैं :-

- (1) इंडोर हॉल (बाधारहित रैम्प एवं टॉयलेट) हवादार एवं प्रकाशयुक्त हॉल
- (2) विज्ञापन व प्रचार सामग्री का प्रकाशन
- (3) आवेदन प्रपत्र तथा हैंडआउटस की प्रिंटिंग तथा वितरण
- (4) स्थल (Venue) पर आवश्यक फर्नीचर (इण्डोक हॉल)
- (5) स्थल पर चार कम्प्यूटर (प्रिंटर के साथ)
- (6) बैनरों की व्यवस्था 8x10, 8x6 तथा 6x4 आकार के - चलन्त न्यायालय (Mobile Court)
- (7) स्थानीय गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं तथा दिव्यांगों से जुड़े संस्थानों के 10 से 15 व्यक्ति शिकायतों के सम्बन्ध में सलाह/सहायता के सम्बन्ध में।
- (8) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था
- (9) अत्यधिक गर्मी की स्थिति में इससे बचाव संबंधी उपकरणों की व्यवस्था
- (10) फोटोग्राफी
- (11) परिवहन, दो दर्जन व्हील चेयर की व्यवस्था
- (12) सुविधा प्रदायकों के लिए मध्याह्न भोजन, चाय-पानी इत्यादि की सुविधा सुनिश्चित की जाय।
- (13) दिव्यांगजनों से सम्बन्धित संचालित योजनाओं एवं अन्य परिवादों के निष्पादन हेतु सभी विभागों का एक-एक कॉम्प्यूटर लगाने की व्यवस्था एवं साथ ही साथ विभाग के एक नोडल पदाधिकारी की व्यवस्था।
- (14) फोटोकॉपीयर मशीन, एक दर्जन स्टेपलर्स, स्याही स्टाम्प पैड-एक दर्जन, एक हजार सादा कागज प्रिंटिंग हेतु एवं आधा दर्जन गौद (फेवी स्टीक सहित) का डब्बा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

नोट :- चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) के आयोजन से सम्बन्धित खर्च का वहन संबंधित जिला स्तर से किया जाना है।

2. उक्त के आलोक में कहना है कि आपके विभाग/कार्यालय एवं निदेशालय में दिव्यांगजनों से सम्बन्धित संचालित योजनाओं एवं दिव्यांगजनों को दिये जाने वाले अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त नोडल पदाधिकारी को दिनांक-12/12/2019 को समस्तीपुर जिला में आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) में प्रतिवेदन के साथ तत्समय भाग लेने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

3. कृपया चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) स्थल पर चार आशुलिपिकों (डिक्टेशन प्राप्त करने तथा आदेश निर्गत करने हेतु) तथा कम-से-कम तीन अनुसेवकों की जिला प्रशासन कार्यालयों द्वारा किए जाने का अनुरोध है।

4. प्रासंगिक पत्र के अन्तर्गत वर्णित कार्यालयों के सरकारी पदाधिकारी को कृपया चलन्त न्यायालय के दौरान भी उपस्थित रहने की सलाह दी जाए। कृपया यह सुनिश्चित करने की कृपा की जाए कि प्रत्येक कार्यालय से कम से कम प्रतिनिधि कार्यालय दिव्यांगजनों द्वारा उनके कार्यालय से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने हेतु उपलब्ध है।

5. दिव्यांगजनों के दिव्यांगता निर्धारण तथा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गमन कार्य हेतु आवश्यक चिकित्सा पदाधिकारियों की व्यवस्था की जाए। मनोचिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सक अपना एक मनोचिकित्सक भी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गमन पैनल में शामिल होने चाहिए।

6. इस कार्यक्रम को विविध संचार माध्यमों/कार्यालयों यथा जिला सम्पर्क कार्यालयों/प्रखण्ड विकास कार्यालयों/गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं/समाचार पत्रों/पैम्पलेटों/स्थानीय टेलीविजन मा. में द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

7. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से अनुरोध है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं। उक्त कार्यक्रम में सहयोग हेतु राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना के लिए नयाचार पदाधिकारी (प्रोटोकॉल ऑफिसर) नामित करने के साथ-साथ इनकी सुरक्षा (स्काट एवं अंगरक्षक) उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। उक्त कार्यक्रम के दौरान दिनांक-09.12.2019 से 12.12.2019 तक राज्य आयुक्त निःशक्तता के रात्रि विश्राम के लिए समस्तीपुर जिला के परिसदन का दो कमरा आरक्षित करने हेतु भी अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

दिनांक-22 नवम्बर 19

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

दिनांक-22 नवम्बर 19

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

दिनांक-22 नवम्बर 19

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018

प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

दिनांक-22 नवम्बर 19

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018

प्रतिलिपि:-समस्तीपुर जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

दिनांक-22 नवम्बर 19

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त तिथि को राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार के लिए स्काट, अंगरक्षक एवं (होम) सुरक्षा के साथ-साथ दिनांक-12.12.2019 को समस्तीपुर जिला में चलन्त न्यायालय के दिन पर्याप्त मात्रा में पुरुष एवं महिला बल की व्यवस्था करने की कृपा की जाए।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

दिनांक-22 नवम्बर 19

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018

प्रतिलिपि:-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक-12.12.2019 को दिव्यांगजनों हेतु आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) में अपने स्तर से जिला के PLV (न्यायमित्र) की Volunteers सेवा प्रदान करने की कृपा की जाय ताकि कार्यों के निष्पादन में सहायता मिल सके।

अपर आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018

1274/31.1.19

दिनांक 22 नवम्बर 19

प्रतिलिपि:-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर को दिनांक-12.12.2019 को समस्तीपुर जिला में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) में विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने एवं यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनवाने में सहायता प्रदान करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त नि:शक्ती, बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018

1274/31.1.19

दिनांक 22 नवम्बर 19

प्रतिलिपि:-अनुमण्डलाधिकारी, समस्तीपुर को सभी प्रखण्डों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए राज्य आयुक्त नि:शक्ती के द्वारा दिव्यांगजनों से सम्बन्धित आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त नि:शक्ती, बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018

1274/31.1.19

दिनांक 22 नवम्बर 19

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, समस्तीपुर को निर्देशित किया जाता है कि जिला पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर दिनांक-09.12.2019 से 12.12.2019 तक दिव्यांगजनों के लिए आयोजित चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) का प्रचार-प्रसार एवं उनके परिवादों के निष्पादन हेतु सहयोग करें तथा आयोजित कार्यक्रम का प्रतिवेदन तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि पूर्व में आयोजित चलन्त न्यायालय मधुबनी, बेतिया (पश्चिम चम्पारण), भागलपुर, गया, रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा), पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वैशाली (हाजीपुर), जहानाबाद, सहरसा, भोजपुर (आरा), दरभंगा, सुपौल, जमुई, पटना, औरंगाबाद, सीतामढ़ी एवं सिवान तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में नवादा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, बक्सर, कैमूर (भभुआ), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी, गोपालगंज, मधेपुरा, मधुबनी एवं अरवल में चलन्त न्यायालय का आयोजन किया जा चुका है, के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सफल संचालन हेतु मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। साथ ही यह भी सूचित करना है कि सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा की जाय।

अपर आयुक्त नि:शक्ती, बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018

1274/31.1.19

दिनांक 22 नवम्बर 19

प्रतिलिपि:-उप मुख्य आयुक्त, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर आयुक्त नि:शक्ती, बिहार, पटना।